

180

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्र.

/2015

क्र. 3481-I-15

श्री विनोद कुमार, कोषी
द्वारा आज दि. 19-11-15 को
प्रस्तुत

सचिव राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामसिंह पुत्र श्री फेरन सिंह निवासी मेदबारा
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

1. शंकर डीमर पुत्र श्री धनु डीमर निवासी ग्राम
मेदबारा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—अनावेदकगण

विनोद कुमार
कोषी
19-11-2015

माननीय श्री एम.के. सिंह, सदस्य, राजस्वमण्डल म.प्र.
ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र.3174-III/2014 में
पारित आदेश दिनांक 31-08-2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:--


P/15

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3781-एक/15

जिला - टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-16	<p>प्रकरण का अवोयकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, उनको देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3174-तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 31-8-15 वापिस लिया जाता है तथा उक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाता है ।</p> <p>2/ इस प्रकरण में संलग्न अभिलेख मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न किए जायें ।</p> <p>3/ उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

P
1/2